राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
(श्रम विभाग)
5 शाम नाथ मार्ग, दिल्ली–110054

अतारांकित प्रश्न संख्या : 175
दिनांक : 21 मार्च, 2018
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री अजय दत्त

<table>
<tr><th></th><th>प्रश्न</th><th></th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>क</td><td>दिल्ली सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में निर्धारित न्यूनतम मज़दूरी क्या है,</td><td></td><td>अकुशल श्रेणी – 13584/– रुपये प्रति माह
अर्द्धकुशल श्रेणी– 14958/– रुपये प्रति माह
कुशल श्रेणी – 16468/– रुपये प्रति माह</td></tr>
<tr><td>ख</td><td>विगत पांच वर्षो के दौरान न्यूनतम मज़दूरी में कितनी वृद्धि हुई है,</td><td></td><td>वर्ष 2013 से 01.04.2017 तक अकुशल श्रेणी, अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रेणी में लगभग 68 प्रतिशत वेतन वृद्धि हुई है ।</td></tr>
<tr><td>ग</td><td>यदि न्यूनतम मज़दूरी में हर वर्ष वृद्धि नहीं हुई है तो उसके कारण क्या हैं,</td><td></td><td>जी नहीं, बल्कि हर वर्ष दो बार (माह अप्रैल एवं अक्तूबर) मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है, जिससे कि वेतन में वृद्धि होती है ।</td></tr>
<tr><td>घ</td><td>यदि वृद्धि हुई है तो उसका वर्षवार ब्यौरा क्या है,</td><td></td><td>
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>अकुशल</th><th>अर्द्धकुशल</th><th>कुशल</th></tr>
<tr><td>2013</td><td>8086 रु. प्रति माह</td><td>8918 रु. प्रति माह</td><td>9802 रु. प्रति माह</td></tr>
<tr><td>2014</td><td>8632 रु. प्रति माह</td><td>9542 रु. प्रति माह</td><td>10478 रु. प्रति माह</td></tr>
<tr><td>2015</td><td>9178 रु. प्रति माह</td><td>10140 रु. प्रति माह</td><td>11154 रु. प्रति माह</td></tr>
<tr><td>2016</td><td>9724 रु. प्रति माह</td><td>10764 रु. प्रति माह</td><td>11830 रु. प्रति माह</td></tr>
<tr><td>2017</td><td>13584 रु. प्रति माह</td><td>14958 रु. प्रति माह</td><td>16468 रु. प्रति माह</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>ड़</td><td>पिछले पांच वर्षो में महंगाई दर में वृद्धि व न्यूनतम मज़दूरी वृद्धि के वर्षवार तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं,</td><td></td><td>गत पाँच वर्षों में महंगाई भत्ते व न्यूनतम वेतन में वृद्धि के आंकड़ों का ब्योरा निम्न है :

अक्तूबर 2013 –मूल्य सूचकांक–225.50–364 रुपये की वृद्धि (अकुशल), 390 रुपये की वृद्धि (अर्द्धकुशल) एवं 416 रुपये की वृद्धि (कुशल)

अक्तूबर 2014 –मूल्य सूचकांक–241–546 रुपये की वृद्धि (अकुशल), 624 रुपये की वृद्धि (अर्द्धकुशल) एवं 676 रुपये की वृद्धि (कुशल)

अक्तूबर 2015 –मूल्य सूचकांक–256–546 रुपये की वृद्धि (अकुशल), 598 रुपये की वृद्धि (अर्द्धकुशल) एवं 676 रुपये की वृद्धि (कुशल)</td></tr>
</table>

SANJAY KUMAR SAXENA
Secretary (Labour)

		अक्तूबर 2016 –मूल्य सूचकांक–271.17–546 रुपये की वृद्धि (अकुशल), 624 रुपये की वृद्धि (अर्द्धकुशल) एवं 676 रुपये की वृद्धि (कुशल) अक्तूबर 2017 –मूल्य सूचकांक–276.33–234 रुपये की वृद्धि (अकुशल), 260 रुपये की वृद्धि (अर्द्धकुशल) एवं 286 रुपये की वृद्धि (कुशल)
च	यदि वर्ष 2017–18 में न्यूनतम मज़दूरी में वृद्धि हुई है तो इस संबंध में एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में होने वाले फाइल मूवमेंट का तिथिवार ब्यौरा दें, और	न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 5 के अंतर्गत न्यूनतम वेतन बढ़ाने हेतु, न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति का गठन माननीय उपराज्यपाल महोदय की स्वीकृति के पश्चात किया गया, समिति द्वारा वेतन बढ़ाने हेतु सिफारिशें सरकार को दी गयी, तत्पश्चात माननीय उपराज्यपाल महोदय ने इस सिफारिशों को मंजूरी दी एवं आदेश संख्या फा. अति. श्र. आ. /श्रम/एमडब्ल्यू/2016/4859 दिनांक 03.03.2017 से बढ़ाये गये न्यूनतम वेतन को अधिसूचित किया गया ।
छ	पिछले पांच वर्षों में न्यूनतम मज़दूरी वृद्धि के संबंध में एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में होने वाले फाइल मूवमेंट का तिथिवार ब्यौरा क्या है?	गत पाँच वर्षों में न्यूनतम वेतन नहीं बढ़ाया गया है, बल्कि मूल्य सूचकांक के आधार पर केवल महँगाई भत्ता ही बढ़ाया गया है , जो कि वेतन बढ़ाने की परिभाषा में नहीं आता है । वर्ष 2017 में न्यूनतम वेतन का निर्धारण न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति के अनुमोदन पर किया गया । समिति ने दिनांक 15.02.2017 की अंतिम बैठक में न्यूनतम वेतन प्रस्तावित किया था । समिति के अनुमोदन को कैबिनेट के समक्ष रखने के लिए माननीय श्रम मंत्री ने दिनांक 17.02.2017 को और माननीय मुख्यमंत्री ने दिनांक 23.02.2017 को अपनी स्वीकृति दी । कैबिनेट ने अपनी बैठक दिनांक 25.02.2017 को बढ़े हुए न्यूनतम वेतन को स्वीकृति दी और माननीय उपराज्यपाल ने दिनांक 02.03.2017 को स्वीकृति दी । उसके बाद आदेश सं. फा. अति. श्र. आ. श्रम/एमडब्ल्यू/2016/ 4859 दिनांक 03.03.2017 से बढ़ाये गये न्यूनतम वेतन को अधिसूचित किया गया ।

हस्ताक्षर

स०क०सक्सैना

SANJAY KUMAR SAXENA

(विभागाध्यक्ष)

Secretary (Labour)